सार्वजनिक सूचना

(सीमित दायित्व अधिनियम, 2008 की धारा 17(4) के अनुसरण में)

एतद्द्वारा आम जनता, भागीदारों/नामित भागीदारों, लेनदारों तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सीमित दायित्व अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निगमित, **ACY-2068** धारक **गेन-टेक एस्टेट्स एलएलपी**, जिसका वर्तमान **पंजीकृत कार्यालय: 39/2/7 एवं 8, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010** है, एलएलपी के सभी नामित भागीदारों की सहमति के अनुसरण में अपना पंजीकृत कार्यालय **"उत्तर प्रदेश राज्य"** से **"दिल्ली राज्य"** में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है।

एलएलपी का प्रस्तावित नया पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित पते पर स्थित होगा:
3478/12, भूतल, गली बजरंग बली, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, अपनी आपत्तियाँ, अपने हित की प्रकृति तथा विरोध के आधार का उल्लेख करने वाले शपथपत्र के समर्थन सहित, या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर **एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर प्रस्तुत कर सकता है**, अथवा क्षेत्रीय निदेशक को **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** के पते पर पहुँचवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। ये आपत्तियाँ इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती हैं, तथा उनकी एक प्रति एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय के नीचे उल्लिखित पते पर भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय का पता: 39/2/7 एवं 8, साइट 4, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

गेन-टेक एस्टेट्स एलएलपी
के लिए और उसकी ओर से
अमरिंदर सिंह (नामित भागीदार)
डीआईएन: 01560993
निवासी: दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

केंद्र सरकार / रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष

मिडअल्फा स्ट्रेटेजीज LLP / LLPIN: ACU&9051
रजिस्टर्ड ऑफिस : 606, PP सिटी सेंटर, प्लॉट नंबर 3, रोड नंबर 44, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034

आम जनता और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को सूचित किया जाता है कि मिडअल्फा स्ट्रेटेजीज LLP (जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के तहत बनी एक LLP है) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स, 2009 के नियम 17 के तहत अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखती है।

रजिस्टर्ड ऑफिस को 606, PP सिटी सेंटर, प्लॉट नंबर 3, रोड नंबर 44, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034 से 502, टेनेसी टॉवर, द फॉरेस्ट, सेक्टर 92, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर – 201305, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) की मंजूरी पर निर्भर है।

प्रस्तावित बदलाव की जानकारी देने वाली सूचना की एक प्रति नियमों की जरूरतों के अनुसार सुरक्षित लेनदारों (यदि कोई हों) और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। कोई भी व्यक्ति जिसके हित पर LLP के रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रस्तावित स्थानांतरण से असर पड़ने की संभावना है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर ऊपर बताए गए रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपनी आपत्ति(यों) जमा कर सकता है। आपत्ति के साथ एक शपथ–पत्र (एफिडेविट) भी देना होगा जिसमें उनके हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताया गया हो, और इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, NCT दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए। की ओर से और उनके लिए,

मिडअल्फा स्ट्रेटेजीज LLP
(हस्ताक्षर)
आशीष बहेती
डेजिग्नेटेड पार्टनर
DIN/DPIN: 01162605

तारीख : 14–10–2026
स्थान : नोएडा
पता: 502, टेनेसी टॉवर, द फॉरेस्ट, सेक्टर 92, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर – 201305, उत्तर प्रदेश

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी, मु0नगर

पत्रांक: 746 / डा0 बी0आर0 अम्बेडकर / 2026–27 दिनांकः– 12.10.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी की ओर से डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर मूर्ति विकास योजनान्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यो पर राज्य सरकार के समस्त राजकीय विभागो में पंजिकृत ठेकेदारो से उनकी पंजीकरण सीमान्तर्गत दिनांक 26.10.2026 की अपरान्ह 02:00 बजे तक प्रतिशत दर पर मुहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती है निविदा प्रपत्र दिनांक 25.10.2026 की अपरान्ह 2:00 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निर्माण कार्य की अरनेस्ट मनी / जमानत धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 या एन0एस0सी0 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा के साथ जमा की जानी है। निविदाये दिनांक 26.10.2026 को साय 4:00 बजे ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओ के समक्ष खोली जायेगी। कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। निविदा सर्शत स्वीकार नही होगी। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में न्याय क्षेत्र मु0नगर ही मान्य होगा। कार्य इस विकास खण्ड के अवर अभियन्ता की देखरेख में करना होगा तथा उनके सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान होगा। कार्यादेश प्राक्कलन की धनराशि की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी किये जायेगें विस्तृत शर्ते एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते है। समय उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी। कराये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (मी0)	अनु0 लागत लाख रु	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम हरिनगर झबरपुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य	01 अदद	8.40	17000	1000	3 माह
2	ग्राम अब्दुलपुर में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य	01 अदद	8.41	17000	1000	3 माह
3	ग्राम बसेडा में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य	01 अदद	8.46	17000	1000	3 माह
4	ग्राम माण्डला में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य	01 अदद	8.45	17000	1000	3 माह
5	ग्राम खाईखेडी में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति स्थल का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यकरण का निर्माण कार्य	01 अदद	8.43	17000	1000	3 माह

खण्ड विकास अधिकारी
पुरकाजी (मु0नगर)

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत यूग्रो कैपिटल लि. जिसका पंजीकृत पताः **बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वापस करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित माह और वर्ष को सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन यूग्रो कैपिटल लि. के प्रभार वास्ते बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बंधक सम्पत्ति	कब्जा की तिथि
1	1) शिमला एंटरप्राइज 2) पवन कुमार 3) जिले 4) शिमला 5) अजय बैसला ऋण खाता सं. UGNODMS0000082924	रु. 54,42,863 / – (रुपये चौवन लाख ब्यालीस हजार आठ सौ तिरेसठ मात्र) दि. 30.01.2026 तक की राशि हेतु **मांग सूचना दिनांक 30.01.2026**	संपत्ति, क्षेत्रफल 1030.44 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 466 में से, भागोट गांव में, तहसील खेकड़ा, जिला बागपत, (यूपी) 250101 उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण– राजेंद्र की संपत्ति, पूर्व– 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–अन्य की कृषि भूमि	08.10.2026

दिनांक : 14.10.2026,
स्थान : उत्तर प्रदेश
हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

SBI

आईटी क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी–सेंटर, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614
ई–मेल: dgmit.qacoe@sbi.co.in; वेबसाइट: https://sbi.bank.in

शुद्धिपत्र सूचना

आरएफपी नं. SBI/GITC/IT-Quality Assurance CoE/2026-27/1492
दिनांक: 18.09.2026

आरएफपी के संबंध में शुद्धिपत्र **https://etender.sbi/SBI/** पोर्टल और **https://sbi.bank.in** पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ में प्रकाशित किया गया है।
बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि व समय : 23.10.2026 को 17:00 बजे तक

आईटी क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस विभाग

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : संख्या 167-169, दूसरी मंजिल, अन्नलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, तथा शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम मंजिल, महालक्ष्मी टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद-201010
ईमेल : auction@hindujahousingfinance.com

आरआरएम : शशि मिश्रा (9718025302), जेआरएम – पवन कुमार पांडे (8010562716), एडीएम – कपिल पाठक (8860114032), आरडीएम – वरुण कुमार (8445422518)

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत एचएचएफएल के पास प्रभारित चल तथा अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत अनुसूचीगत संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति एचएचएफएल के बकाए की वसूली के लिए एचएचएफएल को स्वीकार्य शर्तों के अनुसार ''जैसी है जहाँ है के आधार पर'' तथा ''जैसी है जो है के आधार पर'' निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें :

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री ''जैसी है जहाँ है के आधार पर'' तथा ''जैसी है जो है के आधार पर'' होगी। 2. खरीदार को संपत्ति की खरीद के लिए एचएचएफएल की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर बिक्री प्रतिफल का 25: जमा करना होगा तथा शेष राशि उसके 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 3. खरीदार को आवेदन के साथ ऑफर की गई राशि का 10% जमा करना होगा जिसे ऊपर दिए गए खंड (2) के अनुसार किए जाने वाले 25: जमा में समायोजित किया जाएगा। 4. ऊपर दिए गए खंड (2) के अंतर्गत आवश्यक राशि का प्रेषण करने में विफलता पर आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि सहित पहले ही भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। 5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 6. संपत्ति सभी मौजूदा तथा भविष्य के ऋणभारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों अथवा अज्ञात हों। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तृतीय–पक्ष के दावों / अधिकारों / शुल्कों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। 7. खरीदार को संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के अंतर्गत) से संबंधित सभी पहलुओं पर अपनी संतुष्टि के अनुसार उचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) बरतनी चाहिए। खरीदार बाद की तिथि में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता के विरुद्ध कोई भी दावा करने के हकदार नहीं होगा। 8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए किसी भी खरीद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9. एक से अधिक प्रस्ताव होने की स्थिति में, एचएचएफएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। 10. इच्छुक पक्षकार अधिक विवरण / स्पष्टीकरण के लिए तथा 30.10.2026 को या उससे पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 31.10.2026 को संपन्न होगी। 11. खरीदार को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य व्यय, कर, शुल्क वहन करने होंगे। 12. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची, संपत्ति (प्रतिभूत परिसंपत्ति) का विवरण

1. फ्लैट नं. **SF-01**, (सामने बाईं ओर), क्षेत्रफल 517 वर्ग फीट, यानी 48.03 वर्ग मीटर, आवासीय भूखंड संख्या ६–100, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, यानी 125.41 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 में से, जो ब्लॉक–६ गंगा विहार, हदबस्त गांव सदुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
लैन नं.: **GZ/CHP/CHPL/A000000046**
1. श्री विक्रम शर्मा (ऋणधारक) 2. श्रीमती कुसुम पाल (सह–ऋणधारक)
आरक्षित मूल्य : रु. 10,50,000 / – (रुपये दस लाख पचास हजार मात्र)

2. फ्लैट नं. **UGF-04** (पीछे दाईं ओर), क्षेत्रफल 360 वर्ग फीट, भूखंड संख्या ए–88 पर निर्मित। भूमि का क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यानी 167.22 वर्ग मीटर। खसरा संख्या 348 का हिस्सा, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सदुल्लाबाद, परगना लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
लैन नं.: **DL/GRN/OMCN/AD00000091**
1. श्री ओम प्रकाश (ऋणधारक) 2. श्रीमती पूनम सिंह (सह–ऋणधारक)
आरक्षित मूल्य : रु. 5,00,000 / – (रुपये पांच लाख मात्र)

तिथि : 14–10–2026, स्थान : गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, कृते हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015, तमिलनाडु, भारत, शाखा कार्यालयः एफ8, महालक्ष्मी टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाज़ियाबाद-201010

संपर्क विवरणः- | एडीएम कपिल पाठक 8860114032 | जेडआरएमः अमित कौशिक 9587088333 | आरआरएमः अमित मिश्रा –8178708726 | आरएलएमः अरुण मोहन शर्मा 8800898999 |
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत एचएचएफएल को गिरवी रखी गई चल एवं अचल संपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अनुसूची संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। व्यापक तौर पर जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में वर्णित प्रतिभूत संपत्ति निजी संधि/सार्वजनिक ई–नीलामी के माध्यम से, एचएचएफएल के लिए सहमत शर्तों पर, 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध है।

मानक नियम एवं शर्तें: 1. बिक्री कठोरता से 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर की जाएगी। 2. क्रेता को आवेदन और केवाईसी दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा। इसे स्वीकृति पर आवश्यक 25% जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 3. एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर, खरीदार को बिक्री प्रतिफल का 25% (प्रारंभिक 10% सहित) अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा। 4. बिक्री प्रतिफल का शेष 75% भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर करना होगा। 5. निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रारंभिक 10% सहित सभी जमा राशि स्वतः जब्त हो जाएगी और संपत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा बेचा जा सकता है। 6. यदि एचएचएफएल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो शुरूआती 10% जमा राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 7. रु. 50,00,000/– से अधिक की बोलियों हेतु सफल क्रेता को आयकर अधिनियम की धारा 194–आईए के तहत 1% का टीडीएस जमा करना होगा। 8. संपत्ति सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेची जाती है, चाहे एचएचएफएल को ज्ञात हो या अज्ञात। एचएचएफएल किसी तीसरे पक्ष के दावे, अधिकार या वैधानिक बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. खरीददार को संपत्ति के सभी पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पूरी जाँच–पड़ताल करनी चाहिए। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। 10. एचएचएफएल बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 11. नीलामी/बोली केवल 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से होगी या नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। 12. बोलीदाता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद के स्थान से भाग ले सकते हैं। प्रतिभूति ऋणदाता/सेवा प्रदाता को किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 13. ई–नीलामी पर किसी भी विवरण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर – 44, गुड़गांव, हरियाणा– 122003 (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com, ईमेलः tn@c1india.com, Prabhakaran.Malaichamy@c1india.com और सपोर्ट (हेल्पलाइन) मोबाइल नंबर +91–7291981124/25/26, सपोर्ट ईमेल – Support@bankeauction.com से संपर्क कर सकते हैं। 14. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पहले से पंजीकृत करना होगा और इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने पर तुरंत बदलने की सलाह दी जाती है। 15. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से वापसी योग्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) यानी आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) जमा करना होगा। 16. इच्छुक पार्टियां विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं और 28.10.2026 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले केवाईसी दस्तावेजों के साथ ऑफर, ईएमडी जमा कर सकती हैं। 17. सफल नीलामी क्रेता को खरीद से संबंधित सभी स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर और अन्य वैधानिक खर्च वहन करना होगा। 18. नवीनतम न्यायिक आदेशों के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से सरफैसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार/बंधककर्ता का संपत्ति वापस पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। 19. बिक्री सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

अनुसूची

सम्पत्ति (प्रतिभूत आस्ति) का विवरण

1. आवासीय फ़्लैट नंबर यूजी-1, सामने की तरफ, एलआईजी ??अपर ग्राउंड फ़्लोर (बिना छत के अधिकार के), कवर्ड एरिया 35 वर्ग गज यानी 29.26 वर्ग मीटर, जो प्लॉट नंबर 20, 21, 28, 29, खाता नंबर 01178, खसरा नंबर 76 और 78 मिन में बना है; यह सुदामापुरी कॉलोनी (कृष्ण वाटिका), गाँव डुंडाहेड़ा, परगना लोनी, तहसील और ज़िला – गाज़ियाबाद, उ.प्र. में स्थित है।
अनुसूची सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं:
प्लॉट नंबर 20 की सीमाः पूर्वः - 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः - प्लॉट नंबर 29, उत्तरः - प्लॉट नंबर 21, दक्षिणः - प्लॉट नंबर 19.
प्लॉट नंबर 21 की सीमाः पूर्वः - 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः - प्लॉट नंबर 28, उत्तरः - प्लॉट नंबर 22, दक्षिणः - प्लॉट नंबर 20.
प्लॉट नंबर 28 की सीमाः पूर्वः - 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः - प्लॉट नंबर 21, उत्तरः - प्लॉट नंबर 27, दक्षिणः - प्लॉट नंबर 29.
प्लॉट नंबर 29 की सीमाः पूर्वः - प्लॉट नंबर 20, पश्चिमः - 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः - प्लॉट नंबर 28, दक्षिणः - प्लॉट नंबर 30.
बकाया राशिः 13.10.2026 तक रु. 13,03,111/- (रुपये तेरह लाख तीन हजार एक सौ ग्यारह मात्र))।
आरक्षित मूल्यः 8,50,000/- (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र))
ईएमडीः रु. 85,000/- (रुपये पचासी हजार मात्र)
ऋण संख्याः - GZ/GNR/GNRN/A000000213
कर्जदार का नामः श्री पुष्पेंद्र कुमार (कर्जदार), श्रीमती केला केला (सह-कर्जदार)
निरीक्षण की तिथिः 27.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथिः 28.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई-नीलामी की तिथि/समयः 29.10.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक।
बोली वृद्धि राशिः रु. 25,000/–

2. वह आवासीय फ़्लैट नंबर एसएफ–4, दूसरी मंजिल, एलआईजी, आरएचएस, बिना छत के अधिकार के, जो प्लॉट नंबर डी–282 पर बना है, जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है; यह आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना, ब्लॉक–डी, गांव तिला, शाहबाजपुर, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित है। जिस प्लॉट पर फ्लैट बना है, उसकी सीमाएंः– पूर्व–दक्षिण–पूर्व – प्लॉट नंबर 283, पश्चिम–उत्तर–पश्चिम – फ्लैट नंबर एस–3/प्लॉट नंबर 281, उत्तर–उत्तर–पूर्व – अन्य संपत्ति, दक्षिण–दक्षिण–पश्चिम – फ्लैट नंबर एस–1/9 मीटर चौड़ी सड़क।
बकाया राशिः 16,05,278/– (रुपये सोलह लाख पांच हजार दो सौ अठहत्तर मात्र)) 13.10.2026 तक।
आरक्षित मूल्यः 7,00,000/– (रुपये सात लाख मात्र))
ईएमडीः रु. 70,000/– (केवल सत्तर हजार मात्र)
ऋण संख्याः – DL/LON/LONI/A000000829
कर्जदार का नामः– श्री वसारत अली (कर्जदार), श्रीमती मुबीना मुबीना (सह–कर्जदार)
निरीक्षण की तिथिः– 27.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथिः 28.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि/समयः 29.10.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक। बोली वृद्धि राशिः रु. 25,000/–

3. वह सम्पत्ति (फ्लैट नंबर एफएफ2, एमआईजी फ्रंट एलएचएस, पहली मंज़िल, बिना छत के अधिकार के, 60 वर्ग गज का एरिया), जो प्लॉट नंबर ए10/3 पर बनी है और डीएलएफ अंकुर विहार, हदबस्त ग्राम लोनी, गाज़ियाबाद, उ.प्र. इलाके में स्थित है। जिस प्लॉट पर फ्लैट बना है, उसकी सीमाएँः – पूर्वः – प्लॉट नंबर ए 10/2, पश्चिमः – प्लॉट नंबर ए 10/4, उत्तरः – प्लॉट नंबर ए 8/20, दक्षिणः – 9 मीटर चौड़ी सड़क।
बकाया राशिः रु. 18,48,406/– (रुपये अठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ छह मात्र) 13.10.2026 तक
आरक्षित मूल्यः रु. 9,00,000/– (रुपये नौ लाख मात्र)
ईएमडीः रु. 90,000/– (रुपये नब्बे हजार मात्र)
ऋण संख्याः – DL/NCU/NOIU/A000000732
कर्जदारों के नामः श्री सोहनवीर तोमर (कर्जदार), श्रीमती देववती देवी (सह–कर्जदार)
निरीक्षण की तिथिः 27.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथिः 28.10.2026 शाम 5:00 बजे तक।
ई–नीलामी की तिथि/समयः 29.10.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक। बोली वृद्धि राशिः रु. 25,000/–

दिनांकः 14–10–2026, स्थानः गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060126444552 **महेश बेडपाल (ऋणी)**, श्रीमती निशा (सह-ऋणी)	14 जुलाई 2026 ₹ 1645065/- रु. सोलह लाख पैंतालीस हजार पैंसठ मात्र 14 जुलाई 2026	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - खसरा नं. 333, फरीदपुर परगना, शिव मंदिर, जिला - बुलंद शहर, उत्तर प्रदेश, 203408 क्षेत्रफल 238.56 वर्ग गज	8 अक्टूबर 2026
ऋण खाता सं.: L9001060144144878 **मेसर्स राजेश बर्तन भंडार जरिए प्रोपराइटर संगीता (ऋणी)**, श्रीमती संगीता (सह-ऋणी), राजेश कुमार गुप्ता (सह-ऋणी)	13 मार्च 2026 ₹ 2611833/- रु. छब्बीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ तैंतीस मात्र 12 मार्च 2026	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - टी-13, छत के अधिकार के साथ, खसरा नं. 64/2, पूठ कलां, बुध विहार कॉलोनी, दिल्ली सीमाएं - पूर्व : रोड, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : गली, दक्षिण : रोड क्षेत्रफल 25 वर्ग गज	12 अक्टूबर 2026
ऋण खाता सं.: L9001060143586816 **मेसर्स मोक्ष ओवरसीज (ऋणी)**, मुकेश वर्मा (सह-ऋणी), जॉली वर्मा (सह-ऋणी)	18 दिसम्बर 2025 ₹ 5621861/- रु. छप्पन लाख इक्कीस हजार आठ सौ इकसठ मात्र 11 दिसम्बर 2025	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित - खसरा नं. 307 मिन, सम्पत्ति बेयरिंग प्लॉट नं. ई-3 (प्लॉट नं. 3 ब्लॉक - ई), ग्राम- चंद्रावली, मानसरोवर पार्क, इलाका शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर पूर्व : अन्य की सम्पत्ति नं. -ई-4, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति नं. -ई-2, उत्तर : 15 फीट चौड़ी गली, दक्षिण : रोड व प्लॉट नं. 3	12 अक्टूबर 2026

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के साथ सपठित नियम 8(6) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय अर्थात इस सूचना से 30 दिवस के सम्बन्ध में है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली **दिनांकः 13 अक्टूबर 2026**
प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी)
(CIN: L74899DL1996PLC077120)
पंजीकृत कार्यालयः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
वेबसाइटः **www.pnbgilts.com**, ईमेलः **pnbgilts@pnbgilts.com**,
फोनः 011–23325759, 23325779, फैक्सः 011–23325751, 23325763

30 सितम्बर, 2026 को समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिक के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार

(₹ लाख में)

	विवरण	3 माह समाप्त			6 माह समाप्त		वर्ष समाप्त
		30.09.2026	30.06.2026	30.09.2025	30.09.2026	30.09.2025	31.03.2026
		(समीक्षित)	(समीक्षित)	(समीक्षित)	(समीक्षित)	(समीक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	43,631.56	45,455.99	44,340.60	87,316.80	86,663.98	169,876.16
2.	अवधि का शुद्ध लाभ / (घाटा) (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	6,005.80	10,818.56	(5,380.62)	16,824.36	15,916.94	23,983.90
3.	अवधि का कर से पूर्व शुद्ध लाभ / (घाटा) (आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	6,023.57	10,826.24	(5,323.91)	16,849.81	15,977.00	24,159.74
4.	अवधि का कर के उपरान्त शुद्ध लाभ / (घाटा) (आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	4,483.62	8,069.80	(4,535.30)	12,553.42	11,471.77	18,161.55
5.	अवधि की कुल व्यापक आय (इसमें अवधि का कर के उपरान्त शुद्ध लाभ /(घाटा) और कर के उपरान्त अन्य व्यापक आय सम्मिलित है)	4,489.96	8,068.65	(4,521.90)	12,558.61	11,483.76	18,237.67
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	18,001.01	18,001.01	18,001.01	18,001.01	18,001.01	18,001.01
7.	आय प्रति अंश (₹ 10 प्रत्येक की) (सतत तथा असतत कार्य संचालन के लिए)*						
	मूल :	2.49	4.48	(2.52)	6.98	6.37	10.09
	घटाकर :	2.49	4.48	(2.52)	6.98	6.37	10.09

तिमाही और अर्द्धवार्षिक अवधि की प्रति अंश आय, वार्षिक नहीं है।

1. उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत् स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किये गए समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिक के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही और अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाईट www.pnbgilts.com पर भी उपलब्ध है।

परिणाम देखने के लिए स्कैन करें

दिनांकः अक्टूबर 13, 2026
स्थानः नई दिल्ली

बोर्ड की ओर से और उन्ही के लिए
(परीद सुनील)
प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक — मांग सूचना

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
सर्किल ऑफिस : रामगंगा विहार, निकट सेल टैक्स ऑफिस, कांठ रोड, मुरादाबाद

सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जारी डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग / कोरियर द्वारा बिना वितरण के वापस आ गया। सभी संबन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनंनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

क्र. सं.	ऋणी / बन्धककर्ता का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि / नोटिस 13(2) के अनुसार देय राशि
1	**श्री ऐपाल चन्द्र पुत्र श्री प्रेम शंकर, (ऋणी / बंधककर्ता)** निवासी मोहल्ला सागर सराय, विकास मंजिल के सामने, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश–244001, **श्रीमती रजनी पत्नी श्री ऐपाल चन्द्र, (सह– ऋणी / बंधककर्ता)** निवासी मोहल्ला सागर सराय, विकास मंजिल के सामने, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश –244001। **शाखाः** रामपुर रोड, मुरादाबाद।	संपत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है ग्राम भोगपुर मिठोनी उर्फ शिरीकुई, परगना, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित गाटा संख्या 914, जिसका कुल क्षेत्रफल 56.00 वर्ग मीटर है। (नामित है श्री ऐपाल चन्द्र पुत्र श्री प्रेम शंकर एवं श्रीमती रजनी पत्नी श्री ऐपाल चन्द्र के नाम) पंजीकृत हैः बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 4962, पृष्ठ संख्याः 265 से 284, क्रम संख्याः 5114, दिनांक 28.11.2005, सब–रजिस्ट्रार कार्यालय द्वितीय, मुरादाबाद **चौहद्दी : पूर्व** : 15 फुट चौड़ा रास्ता। **पश्चिम** : अन्य व्यक्ति की भूमि। **उत्तर** : रामऔतार का मकान। **दक्षिण** : देवी सिंह का प्लॉट।	**29.09.2026** रू. **8,58,702.63/-** दिनांक 14.09.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे
2	**श्री आकाश पुत्र श्री रमेश कुमार, (ऋणी)** निवासी एकता कॉलोनी, लाइन पार, नगर एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश –244001, **श्रीमती किरण पत्नी श्री रमेश, (सह– ऋणी / बंधककर्ता)** निवासी एकता कॉलोनी, लाइन पार, नगर एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश –244001, **शाखाः** रामपुर रोड, मुरादाबाद।	संपत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है मौजा पैपटपुरा, मौजा लाकड़ी फाजलपुर, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश गाटा संख्या 2211 एवं 2212, जिसका कुल क्षेत्रफल 77.28 वर्ग मीटर है। (नामित है श्रीमती किरण पत्नी श्री रमेश के नाम) पंजीकृत है : बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 15524, पृष्ठ संख्याः 01 से 28, क्रम संख्याः 14275, दिनांक 13.08.2019, सब–रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद **चौहद्दी : पूर्व** : अन्य व्यक्ति की भूमि। **पश्चिम** : अन्य व्यक्ति की भूमि। **उत्तर** : बबलू की भूमि। **दक्षिण** : 12 फुट चौड़ी सड़क।	**07.08.2026** रू. **9,17,323.58/-** दिनांक 31.07.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे
3	**श्री मोहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मेजर खान (ऋणी / बंधककर्ता)**, निवासी कटरा, धनौरा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश–244231, **श्री गौरव कुमार पुत्र श्री श्याम कुमार, (गारंटर)** निवासी बड़ा गणेश आश्रम के सामने, मोहल्ला महादेव, धनौरा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश– 244231, **शाखाः** गजरौला ओबीसी, अमरोहा।	आवासीय संपत्ति स्थित है गुरुकुल लाइब्रेरी के निकट, मोहल्ला कटरा, तहसील धनौरा, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, जिसका कुल क्षेत्रफल 58.17 वर्ग मीटर है। (नामित है श्री मोहम्मद सुलेमान पुत्र श्री मेजर खान के नाम) उक्त संपत्ति दो विक्रय विलेखों के माध्यम से अर्जित की गई है, जिनका विवरण निम्नवत् है– **प्रथम विक्रय विलेख** : कुल संपत्ति के एक–तिहाई भाग, जिसका क्षेत्रफल 19.39 वर्ग मीटर है, के संबंध में विक्रय विलेख दिनांक 04.01.2021, बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 7550, पृष्ठ संख्याः 25 से 40, क्रम संख्याः 141, सब–रजिस्ट्रार कार्यालय धनौरा **द्वितीय विक्रय विलेख** : जिसका क्षेत्रफल 38.78 वर्ग मीटर के संबंध में विक्रय विलेख दिनांक 28.01.2022, बही संख्याः 01, जिल्द संख्याः 7993, पृष्ठ संख्याः 43 से 54, क्रम संख्याः 1387, सब–रजिस्ट्रार कार्यालय धनौरा **चौहद्दी : पूर्व** : 7 फुट 6 इंच चौड़ा रास्ता। **पश्चिम** : सलीम आदि का मकान। **उत्तर** : शमा एवं एहसान का मकान। **दक्षिण** : मुख्तार अहमद का मकान।	**24.09.2026** रू. **8,04,136.61/-** दिनांक 31.08.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे
4	**श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री सुभाष (ऋणी / बंधककर्ता)** पताः मंडी समिति के पास गेट नंबर 2 एकता कॉलोनी मझोला तहसील और जिला–मुरादाबाद (यूपी) 244001 **शाखा**– केयूएमएस, मझोला, मुरादाबाद, यूपी	संपत्ति के सभी भाग व हिस्से स्थित है खसरा नंबर 245मि, मोहल्ला एकता कॉलोनी, रेवेन्यू विलेज ढक्का, तहसील और ज़िला– मुरादाबाद, जिसका कुल क्षेत्रफल 69.10 वर्ग मीटर, पंजीकृत है बही संख्याः 1, जिल्द संख्याः 16950, पृष्ठ संख्याः 159 से 172, क्रम संख्याः 5427, दिनांक 09.03.2021 सब–रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद (नामित है गीता देवी पत्नी सुभाष के नाम) **चौहद्दीः पूर्वः** संजीव का प्लॉट। **पश्चिमः** किसी अन्य व्यक्ति का प्लॉट। **उत्तरः** किसी अन्य व्यक्ति का प्लॉट। **दक्षिणः** 10 फीट चौड़ा रास्ता।	**07.08.2026** रू. **9,03,706.24/-** दिनांक 31.07.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांक : 14.10.2026 स्थान : मुरादाबाद, अमरोहा
प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नैशनल बैंक

HDFC BANK

We understand your world
पंजीकृत कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400 013
जिसका एक कार्यालय हैः रिटेल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक लि., 1 ला तल, आई–थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुरमार्ग (ईस्ट), मुंबई – 400042

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री की जानकारी और सार्वजनिक सूचना

एचडीएफसी बैंक लि. ("बैंक") के नीचे उल्लेखित उधारकताओं को यह अधिसूचित किया जाता है कि उन्होंने बैंक के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की थी, जिसकी बिक्री की जा रही है।

उधारकताओं द्वारा स्वीकृत ऋण/सुविधा की शर्तों के अनुसार बकाया राशि के भुगतान में लगातार चूक के कारण, नीचे दिए गए ऋण खाते अब डिफॉल्ट की स्थिति में हैं या एनपीए(गैर–निष्पादित संपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। बैंक ने इन उधारकताओं को कई बार सूचना भेजे हैं, जिसमें नीचे उल्लेखित दिनांक को अंतिम बिक्री सूचना भी शामिल है जिसमें, बैंक ने गिरवी प्रतिभूतियों को रद्द किया था और उधारकर्ता को नीचे दिए गए खातों में पूरी बकाया राशि चुकाने के लिए 7 दिनों का समय दिया था,जिसमे विफल होने पर, बैंक को इस संबंध में आगे कोई सूचना जारी किए बिना गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को बेचने की स्वतंत्रता होगी। उधारकताओं ने मांग सूचना की अनदेखी की और उसका भुगतान नहीं किया है, इसलिए बैंक ने ऋण अनुबंध के अन्तेर्गत एक गिरवीदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकताओं द्वारा बैंक को देय राशि की वसूली के लिए 22 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद प्रतिभूतियों को बेचने / निपटाने का निर्णय लिया है।उधारकताओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अनुपालन में बिक्री का नोटिस मानें। साथ ही, उधारकताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी समय शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य और अधिक गिर जाता है और मार्जिन आवश्यकता में और कमी आती है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से केवल एक (1) कैलेंडर दिन के भीतर बिना किसी अतिरिक्त सूचना के प्रतिभूतियों को बेच सकता है। बिक्री से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री से यदि किसी भी शेष राशि का भुगतान बचा रहता है, तो उसे बैंक को चुकाने की जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	11 अक्टूबर 2026 तक बकाया राशि	बिक्री सूचना की तिथि
1	XXXXXXXXXX1981	अंकुर शर्मा	रू.2,27,295.21	10/12/26
2	XXXXXXXXXX7301	उपेंदर कुमार	रू.5,58,529.42	10/08/26

दिनांकः 14.10.2026, स्थानः हिमाचल प्रदेश
हस्ता./–, एचडीएफसी बैंक लि.

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्री सूरज मल डबास (मैसर्स तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) के के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम और पता	**श्री सूरज मल डबास** पताः बी–59, विनोबा कुंज, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली–110085 **और**: वेलकम होटल, द्वारका, प्लॉट नं. 03, सेक्टर 10, द्वारका, दिल्ली–110075 **और**: सी–402, दिल्ली स्टेट न्यूजपेपर एम्प्लॉईज फेडरेशन, दिल्ली–110078
2.	दिवाला प्रारंभ होने की तारीख	12 अक्टूबर, 2026
3.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली, प्रधान पीठ द्वारा सीपी आईबी सं. 84 / एनडी / 2026 / आई.ए. सं. 1317 / 2026 में पारित दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 का आदेश
4.	समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्रीमती अंजू अग्रवाल आईबीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-2018/10213 एएफए वैधता 30 जून, 2027 तक
5.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	पताः 73, नेशनल पार्क, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली–110024 ईमेलः anju@insolvencyservices.in
6.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार / दावे प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	पताः सी–100, सेक्टर–2, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) ईमेलः anjuagarwal.pg@ibcprocess.in
7.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	4 नवंबर, 2026
8.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं	वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 12.10.2026 को श्री सूरज मल डबास, निवासी बी–59, विनोबा कुंज, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली–110085 और वेलकम होटल, द्वारका प्लॉट नंबर 03, सेक्टर 10, द्वारका, दिल्ली–110075 (मैसर्स तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हेतु व्यक्तिगत गारंटर) के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश पारित किया है।

श्री सूरज मल डबास के लेनदारों को एतद्द्वारा अपने दावों को प्रमाण सहित दिनांक 04 नवंबर, 2026 को या उससे पूर्व, प्रविष्टि संख्या 6 के सामने उल्लिखित ई–मेल पते पर समाधान पेशेवर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

लेनदारों को अपने दावे सबूत, दावों के विवरण, व्यक्तिगत जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे।

दावों के झूठे या गुमराह करने वाले सबूत जमा करने पर जुर्माना लगेगा।

हस्ता / –
श्रीमती अंजू अग्रवाल
समाधान पेशेवर
आईबीबीआई रजि. सं. **IBBI/IPA-001/IP-P00106/2017-2018/10213**
IBBI रजि. पताः 73, राष्ट्रीय उद्यान, लाजपत नगर IV, नई दिल्ली–110024
एएफए वैधता 30 जून 27 तक
ईमेल आईडीः anju@insolvencyservices.in

दिनांकः 14.10.2026
स्थानः नई दिल्ली

AXIS FINANCE LIMITED

(CIN U65921MH1995PLC212675)
Axis House, C-2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 025

परिशिष्ट IV
(नियम - 8(1) देखें)
सांकेतिक कब्जे की सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (ए एफ एल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अंतर्गत उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता) (1) संगम एजुकेशन सोसाइटी (उधारकर्ता) नहनी चंदर (सह-उधारकर्ता 1/ बंधककर्ता) राजेश कुमार (सह-उधारकर्ता 2) सुनीता सिंह (सह-उधारकर्ता 3/बंधककर्ता) रमेश कुमार (सह-उधारकर्ता 4) अनिल कुमार (सह-उधारकर्ता 5) हरदीप कुमार (सह-उधारकर्ता 6) पवन कुमार (सह-उधारकर्ता 7) सुरेश कुमार जिन्होंने अचल संपत्ति को बंधक रखा है, जिसका विशेष रूप से नीचे वर्णन किया गया है **को दिनांक 27.07.2026 को मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 4,67,69,729/– (रु. चार करोड़ सड़सठ हजार उनहत्तर हजार सात सौ उनतीस मात्र) दिनांक 23.07.2026 तक** और भुगतान की तारीख तक उस पर संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में असफल रहा है, विशेष रूप से संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक **12.10.2026** को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को संबंधित संपत्तियों से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों से कोई भी लेन-देन एक्सिस फाईनेंस लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि **रु. 4,67,69,729/– (रु. चार करोड़ सड़सठ हजार उनहत्तर हजार सात सौ उनतीस मात्र) दिनांक 23.07.2026 तक** और भुगतान की तारीख तक उस पर संविदात्मक दर पर आगे का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति का विवरण –

समस्त वह भाग एवं अंश जोकि संपत्ति भवन कुल क्षेत्रफल लगभग 51 कनाल 12 मरला है, जो अराजी खेवट संख्या 375 मीन, खतौनी संख्या 501 मीन, खसरा संख्या 352 / 6 (8–0) तथा अराजी खेवट संख्या 1753, खतौनी संख्या 2279, खसरा संख्या 352 / 14 / 2 (4–12), अराजी खेवट संख्या 1261, खसरा संख्या 352 / 23 (7–0), 24 (8–0), खेवट संख्या 353, खसरा संख्या 352 / 15 (8–0), 16 (8–0), 17 (8–0), खेवट संख्या 1639, खसरा संख्या 352 / 14 / 2 (4–12), तहसील तोशाम, मौजा तोशाम, जिला भिवानी, हरियाणा–127040 में स्थित है तथा उक्त भूमि पर निर्मित निर्माण सहित है।

चतुर्सीमा निम्नानुसार हैः
पूर्वः कृषि भूमि
पश्चिमः सड़क
उत्तरः कृषि भूमि
दक्षिणः कृषि भूमि

दिनांकः 12.10.2026
स्थानः भिवानी
प्राधिकृत अधिकारी,
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड